फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नया रोड नाथद्वारा (31212) जिला राजसमंद

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

मैसर्स मस्ताना साडी सेंटर प्रो. मोहम्मद असलम पुत्र फकीर मोहम्मद व्यवसायः कपडा व्यापारी, मोची बाजार, नाथद्वारा जिला राजसमंद

–अप्रार्थीगण / ऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 78 / 2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.11.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नया रोड नाथद्वारा ने दिनांक 20.09.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक ने ऋणी मैसर्स मस्ताना साडी सेंटर प्रो. मोहम्मद असलम पुत्र फकीर मोहम्मद व्यवसायः कपडा व्यापारी, मोची बाजार, नाथद्वारा जिला राजसमंद को रूपये 5,00,000/– का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजो को निष्पादित कियें थे। उक्त ऋण की सुविधा के एवज में Hypothecation Stock मोची बाजार, नाथद्वारा पर स्थित है, अचल संपति जो शॉप नं. 1 एवं प्रथम मंजिल मोची बाजार, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा में स्थित होकर मोहम्मद असलम पुत्र फकीर मोहम्मद के नाम से है जिसके पड़ौस निम्नानुसार है :– पूर्वः फकीर मोहम्मद की दुकान, पश्चिमः भैंरूलाल का मकान, उत्तरः ऊंकार लाल का मकान, दक्षिणः रास्ता स्थित है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2021 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। ऋणी के ऋण खाते में रूपये 5,91,280/– रू. दिनांक 26.10.2021 तक एवं इसके पश्चात से ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिये बकाया निकलने से राशि की मांग की है। उक्त ऋणी को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन	

अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी को दिनांक 27.10.2021 को नोटिस दिया गया। धारा 13(2) का नोटिस ऋणी को 06.11.2021 को ऋणी द्वारा नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी संपूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी है और प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे में लेने का हकदार है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नया रोड नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बंधक चल एवं अचल सम्पतिः Hypothecation Stock मोची बाजार, नाथद्वारा पर स्थित है, अचल संपति जो शॉप नं. 1 एवं प्रथम मंजिल मोची बाजार, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा में स्थित होकर मोहम्मद असलम पुत्र फकीर मोहम्मद के नाम से है जिसके पड़ौस निम्नानुसार है :– पूर्वः फकीर मोहम्मद की दुकान, पश्चिमः भैंरूलाल का मकान, उत्तरः ऊंकार लाल का मकान, दक्षिणः रास्ता स्थित है।

उपरोक्त चल एवं अचल सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नया रोड नाथद्वारा के प्राधिकृत अधिकारी को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नया रोड नाथद्वारा को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)